UPHR010042412021

**न्यायालयः विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act, हरदोई।**

**विशेष परिवाद संख्या– 913/2021**

**पूनम प्रति हरिनाम, आदि**

**अं०धारा– 323/34, 452, 504, 506 IPC**
**& 3(1)(द), 3(1)(ध) SC/ST (P.A.) Act**
**थाना– सुरसा, जिला हरदोई**

**दिनांकः 22–08–2026**

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादिनी निरन्तर अनुपस्थित। अभियुक्त रावेन्द्र उपस्थित। शेष अभियुक्तगण की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, आज के लिए स्वीकृत।

प्रस्तुत परिवाद में आदेश दिनांकित 11.01.2024 के माध्यम से अभियुक्तगण हरिनाम, रावेन्द्र, जैसिंह व बहादुर के विरूद्ध अं०धारा 452, 323/34, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(द), 3(1)(ध) SC/ST (P.A.) Act आरोप विरचित हुआ तथा पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है किन्तु परिवादिनी साक्ष्य हेतु उपस्थित नही आ रही है।

प्रस्तुत प्रकरण में आदेश दिनांकित 19.05.2022 के माध्यम से अभियुक्तगण को विचारणार्थ आहूत किया गया है। परिवादिनी अन्तिम बार दिनांक 07.06.2023 को उपस्थित आयी थी। इस प्रकार परिवादिनी लगभग 3 वर्षों से अनुपस्थित चल रही है। परिवाद कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व परिवादी का होता है, जिसका निर्वहन परिवादिनी द्वारा नही किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी प्रस्तुत परिवाद में अग्रेतर कार्यवाही की इच्छुक नही है। अतः परिवादिनी साक्ष्य का अवसर समाप्त कर, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

## आदेश

परिवादिनी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। अभियुक्तगण हरिनाम, रावेन्द्र, जैसिंह व बहादुर को आरोपित अपराध अं०धारा 452, 323/34, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(द), 3(1)(ध) SC/ST (P.A.) Act से दोषमुक्त किया जाता है। बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

**(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)**
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.25 16:49:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court